भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3286

7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता

3286. श्रीमती संजना जाटवः

डॉ. राजकुमार सांगवानः

श्री राहुल कस्वांः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक दवाएं लिखे जाने और जन औषधि केंद्रों से दवाइयां खरीदने वाले रोगियों के अनुपात की वर्तमान स्थिति के संबंध में राज्य-वार, विशेषकर राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त जिले में कई रोगियों को अभी भी जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में गलतफहमी और अविश्वास है और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का जिला-वार, विशेषकर उक्त निर्वाचन क्षेत्र में, जनऔषधि परियोजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), सरकारी अस्पतालों, ई-स्वास्थ्य प्रणालियों और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन तंत्र के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियम, 2002 के खंड 1.5 के अनुसार प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों का पर्चा स्पष्ट रूप से तथा अधिमानतः बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में जेनेरिक नामों से लिखना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि औषधियों का पर्चा और उपयोग युक्तिसंगत हो। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने दिनांक 12.05.2023 के आदेश

के माध्यम से अनुदेश दिया है कि केन्द्र सरकार के अस्पतालों, सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों तथा पॉलीक्लीनिकों के सभी चिकित्सक जेनेरिक औषधियां ही लिखें।

जन औषधि केन्द्र (जेएके) ऐसे खुदरा विक्रय केन्द्र हैं, जहां औषधियां सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं। देशभर में स्थित जन औषधि केन्द्रों पर प्रतिदिन अनुमानतः 15 लाख नागरिक आते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जन औषधि योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बिक्री का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जन औषधि केन्द्रों से औषधियां प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या संबंधी पृथक आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कड़े उपाय किए गए हैं:

(i) औषधियों की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन–गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) से प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है।

(ii) योजना के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली औषधियों के प्रत्येक बैच का परीक्षण राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराया जाता है तथा गुणवत्ता परीक्षण में सफल होने के उपरांत ही औषधियां जन औषधि केन्द्रों को भेजी जाती हैं।

(iii) भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा विक्रेताओं के भंडार गृहों की नियमित गुणवत्ता लेखा-परीक्षा की जाती है।

जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियों की स्वीकार्यता बढ़ाने तथा उनकी बिक्री में वृद्धि के उद्देश्य से जनऔषधि दवाओं के लाभों के बारे में निम्नलिखित लक्षित जन-जागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं:

• बहु-माध्यम जन-जागरूकता अभियान: भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा जन औषधि दवाओं के लाभों के प्रचार-प्रसार हेतु केन्द्रीय संचार ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), माईजीओवी तथा माई भारत जैसे संगठनों के सहयोग से प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, बाह्य प्रचार तथा सामुदायिक जनसंपर्क के माध्यम से नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

• नागरिक संपर्क एवं हितधारक सहभागिता: व्हाट्सएप चैटबॉट, आउटबाउंड कॉल, जन औषधि सप्ताह गतिविधियों (स्वास्थ्य शिविर, रैलियां, संगोष्ठियां तथा जनसंपर्क कार्यक्रमों सहित) के माध्यम से और प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों एवं चिकित्सकों के ऑडियो/वीडियो संदेशों के माध्यम से जन औषधि दवाओं की गुणवत्ता के प्रति विश्वास सुदृढ़ करने तथा भ्रांतियों का निवारण करने हेतु जागरूकता बढ़ाई जाती है।

• ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों, नुक्कड़ नाटकों, सामान्य सेवा केंद्रों पर श्रव्य-दृश्य प्रदर्शन तथा जन औषधि केन्द्रों (जेएके) के सहयोग से स्थानीय भाषाओं में कार्यशालाओं

का आयोजन किया जाता है, ताकि जन औषधि दवाओं के प्रति जागरूकता, स्वीकार्यता तथा उपयोग में वृद्धि हो सके।

साथ ही, "जन औषधि सुगम" नामक मोबाइल एप्लीकेशन आम नागरिकों को निकटतम जन औषधि केन्द्र का पता लगाने, जन औषधि दवाओं की उपलब्धता जानने तथा जेनेरिक एवं ब्रांडेड औषधियों की अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के आधार पर तुलना एवं संभावित बचत जैसी उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराता है। जन औषधि सुगम ऐप को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम-जेएवाई) के आरोग्य सेतु 2.0 प्लेटफॉर्म पर भी एकीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों को मध्यम एवं विशिष्ट स्तर की अस्पताल में भर्ती उपचार सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत अधिसूचित स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) व्यापक समेकित पैकेज हैं, जिनमें उपचार की संपूर्ण प्रक्रिया शामिल है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पूर्व तक के व्यय, निदान, औषधियां, प्रत्यारोपण (जहां लागू हो) और उपभोग्य सामग्री जैसे अस्पताल भर्ती व्यय साथ ही अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिनों तक की देखभाल, जिसमें औषधियां एवं अनुवर्ती परामर्श भी शामिल हैं, का प्रावधान है।

अनुलग्नक

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3286 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जन औषधि योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बिक्री का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बिक्री (रु. करोड़ में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1.44
3	अरुणाचल प्रदेश	0.28
4	असम	2.37
5	बिहार	68.91
6	चंडीगढ़	20.90
7	छत्तीसगढ़	276.01
8	दिल्ली	59.06
9	गोवा	0.02
10	गुजरात	46.83
11	हरियाणा	1.98
12	हिमाचल प्रदेश	7.74
13	जम्मू एवं कश्मीर	69.37
14	झारखंड	146.94
15	कर्नाटक	213.81
16	केरल	274.61
17	लद्दाख	0.00
18	लक्षद्वीप	0.00
19	मध्य प्रदेश	36.00
20	महाराष्ट्र	24.31
21	मणिपुर	10.81
22	मेघालय	0.84
23	मिजोरम	0.20
24	नागालैंड	0.26
25	ओडिशा	31.85
26	पुडुचेरी	0.12
27	पंजाब	67.97
28	राजस्थान	94.11
29	सिक्किम	0.00
30	तमिलनाडु	188.98
31	तेलंगाना	32.42
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00
33	त्रिपुरा	2.29
34	उत्तर प्रदेश	320.71
35	उत्तराखंड	96.48
36	पश्चिम बंगाल	154.59
कुल		2252.21
